

24.02.2024 पत्रावली पेश | वकील वार्डिंग अपादिपत्र ।

पत्रावली का अवलोकन किया, दौरान
अवलोकन पत्रावली 2008 से तलबी
में लम्बित है बार-बार अपसर
दिये जाने के बावजूद पक्षकार
द्वारा यथान तलबना पेश नहीं किया
गया है। इससे स्पष्ट है कि वार्डिंग
पक्षकार अपने दावे को लेकर गम्भीर
नहीं है। अतः दावा आदेश की
अपालना में खारिज किया जाता है।
पत्रावली के तलब सुभार लेकर मजबूर
के काम की जाकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एस कार्यालयक माजेस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

